

डिकी मुकदमा इबादाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी -

हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्या-161/2007

दाखर दिनांक-18.10.2007

जीसीएमएस नं. 2007/00083

1. रामधन उम्र 70 साल पुत्र श्री धर्मसिंह
2. कमलसिंह उम्र 38 साल
3. बनैसिंह उम्र 30 साल
4. मैमसिंह उम्र 25 साल
5. सुनीता
6. रावेष्ठा
7. कुशव
8. बृजमोहन
9. श्रीलाल
10. भगवानसिंह
11. राधेश्याम
12. राधा बेबा कलुआ
13. सुफेदी बेबा किल्लर

पिसरान
समन्दर

पुत्रिया
समन्दर

पिसरान
किल्लर

जाति जाट निवासी गुढापोल
चंदीला तहसील हिण्डौन सिटी
जिला करौली राज0

—वादीगण-13

बनाम

1. देवीसिंह उम्र 40 साल पुत्र रामसहाय
2. रामखिलाडी उम्र 65 साल पुत्र प्रसादी
3. हरीसिंह उम्र 60 साल पुत्र प्रसादी
4. सिंगारी बेबा अन्धू उम्र 75 साल
5. रघुवीर उम्र 55 साल पुत्र श्री अन्धू
6. रामनिवास उम्र 55 साल
7. पुरुषोत्तम उम्र 30 साल
8. मुक्ति बेबा किशन उम्र 55 साल
9. ओमी उम्र 35 साल
10. रोहित उम्र 30 साल
11. मक्खन उम्र 28 साल
12. राजेश उम्र 26 साल
13. कमला बेबा साहबसिंह उम्र 65 साल
14. देवेन्द्र उम्र 20 साल
15. गोलू उम्र 10 साल
16. अमरसिंह उम्र 45 साल पुत्र अन्धू
17. हंसराज उम्र 25 साल पुत्र राजेन्द्र
18. पिस्ता उम्र 45 साल बेबा राजेन्द्र

पिसरान
किशन

पिसरान
साहबसिंह

पिसरान
देवीसिंह

जाति जाट निवासी गुढापोल चंदीला
तहसील हिण्डौन सिटी

19. सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राज0
20. तहसीलदार तहसील हिण्डौन
21. चेयरमेन जेवीवीएनएल जयपुर
22. अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल हिण्डौन सिटी
23. सहायक अभियंता जेवीवीएनएल ग्रामीण हिण्डौन सिटी



—प्रतिवादीगण-23

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 161/2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका मिन कानिव मुदई प्रतिवादीगण 1 ता 20 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही एवं प्रतिवादीगण 21 ता 23 श्री संजीव सिधंल रूबरू मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है, वादी ने विवादित आराजीयात के संबंध में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने असफल रहा है। वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 खारिज किया जाता है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.08.2024 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज मुर्जर) 30/8/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली